राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....2247 एवं 2248/2015.....जिला.....उदयपुर.....

उनवान – मैसर्स ऐरोमेटिक्स (इण्डिया) प्रा.लि., उदयपुर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी, वा.क. उदयपुर 2. सहायक आयुक्त वा.क., विशेष वृत–द्वितीय, उदयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/01/2016	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वी.के.पारीक एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2015 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के विरूद्ध आंशिक स्थगन दिये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है एवं अवशेष राशि 37337/ रूपये एवं 10,79,965/– को अपील निर्णय तक स्थगित करने की प्रार्थना की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आर.एस.टी. एवं सी.एस.टी. अधिनियम के तहत किये गये विक्रय को एक ही आदेश में पारित किया गया है, जो कि अविधिक है। सीएसटी एक्ट की धारा 2(h) में वैधानिक लेवी (Statutory levy) शब्द अंकित नहीं है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि रू0 37,337/– एवं 10,79,965/– की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है। विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मांग स्थगन राशि रूपये 37,337/– एवं 10,79,965/– को स्थगित नहीं किये जाने बाबत कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया गया है। कर निर्धारण लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या.....2247 एवं 2248/2015.....जिला.....उदयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/01/2016	 अधिकारी द्वारा इन्वॉयसेज में वसूल किये गये इन्श्योरेन्स एवं किराया राशि को विक्रय मूल्य में शामिल नहीं कर करापवंचन किया मानकर उक्त मांग सृजित की गई है, जो राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 2(36) के तृतीय स्पष्टीकरण के अनुसार प्रथम दृष्टया विक्रय मूल्य का भाग नहीं होने से कर योग्य पण्यार्वत में शामिल नहीं होनी चाहिये थी। इन्वॉयसेज में वसूल की गई किराया राशि एवं बीमा राशि पर कर दायित्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित है उक्त राशि के कर दायित्व तक स्थगन दिये जाने का औचित्य ठहरता है। जहां तक सर्विस कर राशि को विक्रय मूल्य में शामिल नहीं करने का प्रश्न है कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने सृजित की गई राशियों का विवेचन वैट एक्ट एवं सी.एस.टी. एक्ट दोनों के तहत पारित आदेशों में किया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि कितनी राशि सर्विस टैक्स पर सृजित की गई है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम विवादित मांग रूपये रू0 37,337/— एवं 10,79,965/— की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की शर्त पर रोक लगाई जाती है। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । 7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। 8. आदेश प्रसारित किया गया। 6-1-2016 (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य 6.1.2016 (मदन लाल) सदस्य	